[SHRI R. K KHEDILKAR]

amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947.

MR SPEAKER The question is·

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947."

The motion was adopted

SHRI R K KHADILKAR: I introduce the Bill

MR. SPEAKER: We should punish ourselves for all this by denying ourselves lunch every day! (*Interruption*).

We adjourn for lunch and reassemble at 2 30.

13.35 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Thirty Minutes Past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-four Minutes past Fourteen of the Clock

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE AND PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

MR DEPUTY-SPEAKER: We will now take up the resolution by Shri Kachwai and the Bill by Shri Khadilkar on bonus

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित सकल्प पेश करता हूं

"कि यह सभा बोनस सदाय (सशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश सख्या 8) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1972 को प्रख्यापित किया था, निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में बोनस की न्यूनतम राशि को 4 प्रतिशत से बढा कर 8.33 प्रतिशत करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं उस का स्वागत करता हू। परन्तु यह दुख की बात है कि विद्यमान बोनस कानून की अन्य त्रुटियो और कमियो को दूर करने का प्रयास इस बिल में नही किया गया है।

सर्वप्रथम बोनस के कानून मे बोनस की परिभाषा स्पष्ट रुप से लिखी जानी चाहिए। बोनस के दो स्वरुप है। जब तक प्रत्यक्ष वेतन जीवन वेतन के स्तर पर नही आता है, तब तक बोनस विलम्बित वेतन अर्थात देरी से दी हुई तन्खवाह है। प्रत्यक्ष वेतन जीवन स्तर के स्तर पर आने के बाद बोनस का स्वरुप मुनाफे मे साझीदारी का होता है। यह परिभाषा स्पष्ट रुप से कानून मे आनी चाहिए, वर्ना यह सभावनीय है कि न्यूनतम बोनस राशि की कल्पना को कोई अदालत मे आह्वान, चुनौती, दे सके।

आज बहुसंख्यक मजदूरो को जीवन वेतन नही मिल रहा है। इसलिए उनके लिए बोनस तो देरी से दी हुई तन्खवाह ही है। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन वेतन न पाने वाले हर एक वेतन-भोगी मजदूर को बोनस का हक दिया जाये और इस को कानून मे लाया जाये। चाहे मिल मे काम करने वाला मजदूर हो या खदानो मे, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या घरेलू कर्मचारी, चाहे निजी क्षेत्र का मजदूर हो या सरकारी क्षेत्र का, जो जो व्यक्ति वेतन पाने वाला है, उस को बोनस मिलना ही चाहिए। इस विषय मे औद्योगिक मजदूर और अनौद्योगिक मजदूर में भेदभाव नही किया जाना चाहिए।

इस दृष्टि से इस बिल मे बहुत त्रुटिया हैं, आज उन सस्थानो के कर्मचारियो को बोनस

†Introduced with the recommendation of the President.

नही मिलता है, जिन मे बीस से कम कर्मचारी काम करते है। मेरी माग है कि जिन सस्थानो या उद्योगो मे बीस से कम मजदूर काम करते हैं, वहा भी बोनस दिया जाना चाहिए।

जो नये सस्थान या उद्योग लगते है, उनको पाच साल तक बोनस देने की जिम्मेदारी से छूट दी गई है। मेरा कहना है कि इस तरह किसी भी सस्थान या उद्योग को बोनस देने की जिम्मेदारी से मुक्त नही रखना चाहिए। जब से कोई उद्योग प्रारम्भ हो और मजदूर को वेतन मिलना प्रारम्भ हो, तभी से मालिक की बोनस देने की जिम्मेदारी प्रारम्भ होनी चाहिए।

यह बात अच्छी हैं कि न्यूनतम बोनस फार्मूला सभी सार्वजनिक उद्योगो पर लागू होगा, चाहे वे काम्पीटीशन वाले रहे या न रहे। किन्तु साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि बोनस कानून का सरक्षण सब सार्वजनिक उद्योगो के कर्मचारियो और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त हो।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियो को बोनस का अधिकार देना बहुत आवश्यक है। जो औद्योगिक कर्मचारी हैं, जैसे रेलवे, सुरक्षा उत्पादन, डाक-तार और विमान सेवा के कर्मचारी, उन को तो यह अधिकार मिलना ही चाहिए। किन्तु साथ साथ अन्य अनौद्योगिक सरकारी कर्मचारियो को भी बोनस दिया जाना चाहिए। मेरी समझ मे नही आता है कि सरकार ने अपने अनौद्योगिक कर्मचारियो को बोनस से क्यो वचित रखा है। सरकार के सभी विभागो से बोनस की माग जोर पकडती जा रही है और अब सरकार उस को टाल नही सकती है। मैं समझता हू कि औद्योगिक और अनौद्योगिक कर्मचारियो से भेद बरतना एक गलती होगी। औद्योगिक हो या अनौद्योगिक जो भी वेतन पाने वाला हो बोनस का हकदार होगा, चाहे वह कितना भी वेतन पाने वाला हो प्रत्येक वेतनभोगी मजदूर जो हैं सब को बोनस का हक मिलना चाहिए। इस आधार पर चाहे वह नगरपालिका हो, चाहे हास्पिटल हो, शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य किसी सस्था के कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियो को इसका लाभ मिलना चाहिए। यह मै सरकार से माग करता हू। आप के इस बिल के अनुसार, जो इस बिलके अन्दर दिया है उस से केवल 35 लाख कर्मचारियो को लाभ पहुचेगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी आज देश के अन्दर बहुत है जो बाकी रह जाते हैं। 1 करोड 35 लाख कर्मचारियो को इससे लाभ नही होगा। मै सरकार से माग करता हू कि इन 1 करोड 35 लाख लोगो को भी बोनस का हक मिलना चाहिए।

आपने एक बात और कही है। बोनस की जो राशि है उस पर सीलिंग लगाई हैं। 20 प्रतिशत की सीलिंग जो बोनस पर लगाई है उसका मैं विरोध करता हू। उस से अधिक भी हो तो वह उनको मिलना चाहिए। यह 20 प्रतिशत जो अधिकतम सीमा रखी गई है इसे हटाना चाहिए। मेरा कहना है कि पूरा पैसा चाहे वह जितने प्रतिशत भी हो उसे मिलना चाहिए। आपने कहा है कि उसका जो अधिक बोनस होगा जो पिछले साल की तुलना मे इस साल अधिक मिलेगा उस अतिरिक्त प्रतिशत की राशि का कर्मचारियो के प्राविडेंट फड मे जमा कर दिया जाय। मेरा इस सम्बन्ध मे आप से विरोध है। यह जो बोनस उन्हे मिलता है यह आज जो बढती हुई महगाई हैं इस महगाई से निपटने के लिए, इस महगाई का जो भार पडता है उससे हल्का होने के लिए यह बोनस हैं। आप इसे प्राविडेंट फड मे जमा कर देगे तो उसका तत्काल लाभ उसे नही मिलेगा। पिछले साल की तुलना मे इस साल जितने प्रतिशत बोनस अधिक मिलेगा वह अतिरिक्त प्रतिशत राशि कर्मचारियो के प्राविडेंट फड मे जमा कर दी जायेगी। ऐसा आप का कहना है। मैं इसका विरोध करता हू। यह आप उस को सीधा दीजिये। जब तक लोगों का जो जीवन स्तर है और

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

जो आज की मंहगाई है उस का हिसाब ठीक नहीं होता तब तक यह बोनस जिसे विलम्ब से मिलने वाली तन्ख्वाह आप मानते हैं, उसे पूरा पूरा मिलना चाहिए। प्राविडेंट फन्ड में जो जमा होगा वह कुछ दिनो बाद मिलेगा। यहां तो तत्काल मिलने की बात है वरना उसका उपयोग आज की मंहगाई के लिए नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह सारी मांग पूरी होने के बाद भी उनका कुछ लाभ नहीं होगा यदि मंहगाई इसी तरह बढ़ती रही और मंहगाई को रोकने में आपने असमर्थता दिखाई। मंहगाई आज कितनी बढ़ती चली जा रही है। उसको रोकने में सरकार बिल्कुल असमर्थ हो रही है आज जो आप बोनस देने जा रहे हैं और लोगों को जो लाभ देने जा रहे हैं वह सब कुछ करने के बाद भी, और जो कुछ मैंने कहा है उस को आपने मान भी लिया तब भी यदि आपने मंहगाई पर अंकुश नहीं रखा, बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश नहीं रखा तो आप के सारे प्रयत्न विफल होंगे। इसलिए आप किमतों पर अंकुश रखिए। जिन चीजों के दाम बढ़ते हैं उनकी निगरानी किजिये और उन्हें बढ़ने से रोकिए। इस के साथ साथ मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों के खिलाफ आप ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, इन्हें जेलों में डालेंगे तो मंहगाई को रोकने में इसका असर पड़ेगा। यह बात भी निश्चित है कि जो उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्ह सस्ते दामों पर चीज मिले। उन्हें रोज काम में आने वाली चीजें उचित दाम पर मिले इसके लिए उद्योगपतियों पर आप दबाव डालिए कि वह अपने क्षेत्र में सस्ते दामों पर आवश्यक चीज दिलाने के लिए सस्ती दुकानें खोले। इसके अलावा जो गरीब बस्तियां हैं वहां सस्ते दामों की दुकान खोलकर उनको राहत दीजिये। सरकार यह सब करेगी, इसमें हमें शक है क्योंकि सरकार और सरमायेदारों की सांठगांठ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यह सब कुछ करने में सफल नहीं हुई और इसमें उसने देर की तो यह परिस्थिति आ जायगी कि इस मंहगाई के खिलाफ लड़ने के लिए सभी संगठन चाहे वह औद्योगिक मजदूरों के हों, चाहे कृषि मजदूरों के हों, चाहे लघु उद्योगों के मजदूर हों, चाहे दफतरों में काम करने वाले हो, सभी वर्गों के कर्मचारी और मजदूर एक होकर इस सरकार के खिलाफ एक बवंडर खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध होंगे और उसे मजबूर होना पड़ेगा कि इस प्रकार कि सहूलियत उन्हें वह दे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"This House disapproves of the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1972 (Ordinance No. 8 of 1972) promulgated by the President on the 23rd September, 1972."

Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be taken into consideration."

As explained in the statement of objects and reasons, the Bill now before the House seeks to replace the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1972. Hon. Members are aware of the demands that were made in this House as well as outside for amendments in the Payment of Bonus Act, 1965, so as to increase the quantum of the minimum and maximum bonus payable under the Act. A Bill on the subject was introduced in the Rajya Sabha by Shri Chitta Basu. In the course of the debate on the Bill I had stated that the bonus scheme embodied in the Act would be reviewed. Accordingly, a Committee known as the Bonus Review Committee, was set up by a Resolution of Government dated the 28th April, 1972, to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965. This Committee is headed by Dr. B. K. Madan and includes as members an economist and

persons representing employers' and workers' interests. The Committee has been given detailed terms of reference and its work is in progress. It has, however, given its findings on one of the terms of reference relating to the raising of the minimum bonus payable under the Act. Unfortunately, the Committee could not come to unanimous conclusions on the subject. Its findings were given in two separate reports, one signed by the Chairman, Dr. S. D. Punekar, Shri N. S. Bhat and Shri Harish Mahindra and the other by Shri R. P. Billimoria, Shri Mahesh Desai, Shri G. Ramanujam and Shri Satish Loomba After careful consideration of both the reports, Government decided that the statutory minimum of Bonus payable to the workers covered by the Payment of Bonus Act for the accounting year commencing on any day in 1971 should be raised from 4 per cent of wages or salary to 8 1/3. At the same time Government considered it necessary to take some protective measures so that the benefit of the higher minimum bonus might not get eroded by any aggravation of the existing inflationary pressures on the economy. It was accordingly decided that only the minimum bonus be paid fully in cash but where payments above the rate of 8 1/3 are to be made the plus difference, if any, between the payments to be made during the accounting year 1971-72 and the payments made during the accounting year 1970-71 should be deposited in the provident fund accounts of the beneficiaries. These two main decisions were given effect to through the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1972, which was promulgated by the President under clause (1) of Article 123 of the Constitution on the 23rd September, 1972 and which the Bill before the House seeks to replace. Opportunity has been taken, while drafting the Bill, to clarify one or two points raised after the Ordinance was promulgated. It was pointed out that while the percentage of wages or salary declared as bonus in the year 1970-71 and 1971-72, may be the same, the amount actually payable in the later year could be higher due to increases in the wages or salary of an employee and that it should not be necessary to deposit the excess amount in such cases in the provident fund accounts. It was also pointed out that in the case of employees who were not in service for the whole year 1970-71, a comparison between the amount of bonus paid in 1970-71 and 1971-72, for the purpose of determining the excess to be deposited in the provident fund accounts would lead to anomalous situations. These anomalies have now been removed by making suitable provisions in the Bill.

As I have said earlier, the present Bill only seeks to replace the Ordinance already promulgated. I may also add that the provisions made in the Bill relate only to the payment of bonus for one year namely, the accounting year commencing on any day in the year 1971. The provisions in the Bill are, therefore, transitional and temporary in nature. I am fully aware that there are some other issues agitating the minds of the Honourable Members Some of them have actually been raised in the House through questions and supplementaries on a number of occasions As I have already explained in my replies, Government may have to come up with more comprehensive proposals for amendment when the final report of the Bonus Review Committee is received and examined.

Meanwhile the present Bill may be taken into consideration.

I move.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be taken into consideration."

There are two amendments to the motion for consideration. Mr. R. N. Sharma—not here. The other name is Mr. Chapalendu Bhattacharyyia. Are you moving it?

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYIA (Giridhi): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be referred to a Select Committee consisting of 12 members, namely Swami Brahmanand, Shri B. K. Daschowdhury, Shri C. D. Gautam, Shri R. K. Khadilkar, Shri Krishna Chandra Pandey, Shri Sakti Kumar Sarkar, Shrimati Savitri Shyam, Shri Shankar Dayal Singh, Shri Tulmohan Ram, Shri Balgovind Verma, Shri Chapalendu Bhattacharyyia, and Shri R. N. Sharma with instructions to report by the 11th December, 1972." (1).

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is another amendment by Shri A. P. Sharma. Are you moving it?

SHRI A. P. SHARMA (Buxar) Yes. I beg to move:

"That the Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be referred to a Select Committee consisting of 15 members, namely Shri Chapalendu Bhattacharyyia, Shri M. C. Daga, Shri A. K. M. Ishaque, Shri R. K. Khadilkar, Shri Raja Kulkarni, Shri Damodar Pandey, Shri Krishna Chandra Pandey, Shri Anantrao Patil, Shri Sakti Kumar Sarkad, Shrimati Savitri Shyam, Shri Nawal Kishore Sharma, Shri R. N. Sharma, Shri Balgovind Verma, Shri Sukhdeo Prasad Verma, and Shri Anant Prasad Sharma, with instructions to report by the 11th December, 1972." (18).

MR. DEPUTY-SPEAKER: These are the amendments to the motion for consideration.

Shri Mohammad Ismail

श्री मोहम्मद इस्माइल : (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बोनस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल में लाने के लिये जो विधेयक पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर सरकार इस 8.33 परसेन्ट बोनस देने की बात अपनी नीति के तौर पर पहले ही मान लेती और दोनों का ख्याल करते हुये, सभी कर्मचारियों का ख्याल करते हुये, अगर सरकार खुद इनीशिएटिव लेकर इसको करती, तब कहा जा सकता था कि इसमे सरकार का कुछ कान्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया-कुछ दिन पहले मजदूरों मे 4 परसेंट बोनस को बढ़ानेका सवाल पैदा हुआ था और इस सवाल को लेकर बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स हुई, स्ट्रगल हुई, तमाम हिन्दुस्तान के मजदूर इस इश्यू पर खड़े हो गये, तब खाडिलकर साहब ने एक फार्मूला दिया। इस काम मे हिन्दुस्तान के मजदूरो ने जो डिटरमिनेशन दिखलाया, मुझे खुशी है कि आखिर मे इतने लोगो का मि ा ा देखने के बाद, मिनिस्टर साहब की शुरू की प्रपोजल के फेल होने के बाद, उन्होंने आर्डिनेंस के ज़रिये इस चीज को माना और यह तय किया कि 8.33 परसेन्ट मिनिमम बोनस होगा।

4 परसेन्ट को बढ़ाने का सवाल आज से नही था—यह मामला शुरू से ही चल रहा था और इस सवाल पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, स्ट्राइक्स हुई, लोगो ने अपनी जाने दी, जेल मे गये, सब तरह के बलिदान मजदूरो को देने पड़े। सरकार सब कुछ जानती थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने नही किया, जब यह आम मामला बन गया, बम्बई मे यह सवाल उठा, उसके बाद सरकार ने इस चीज को माना। इस मामले में तमाम पार्टियां, यहां तक कि आई० एन० टी० यू० सी० भी, एक राय थी, सरकार की तरफ से काफी रुकावटें आईं, लेकिन बाद में तमाम पार्टियों के मनोभावों को देखने के बाद सरकार को इसे मानना पड़ा।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Except the Swatantra Party.

श्री मोहम्मद इस्माइल : स्वतन्त्र पार्टी को छोडकर—यह हो सकता है।

उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि 4 परसेन्ट से जो ज्यादा मिलेगा,

वह प्राविडेन्ट फण्ड में जायगा, कैश नहीं मिलेगा। इस पर फिर लड़ाई हुई, मजदूरों में बहुत बड़ा विप्लव हुआ, तमाम यूनीयन्ज के नेताओं की तरफ से कहा गया कि यह गलत बात है, कैश देना होगा। इसमें भी कुछ समय लगा, आखिर इस चीज को भी मानना पड़ा। अब जो यह नया कानून बना है, इसमे भी रखा गया है कि 8.33 परसेन्ट से जो ज्यादा मिलेगा, वह प्राविडेन्ट फण्ड में जमा होगा। अब इसके लिये फिर एक और लड़ाई हमको करनी होगी। सरकार की तरफ से बार बार यह दुहाई दी जाती है कि कि पूरा कैश दे देने से इन्फ्लेशन बढेगा, चीजो के दाम बढ़ जायेंगे। मेरी समझ मे नही आता—जिनके पास पैसा ही नही है, जो सिर्फ 200 रुपये मे अपने तीन-चार बालबच्चो को लेकर जिन्दा रहता है, उनको अगर एक महीने की तनख्वाह या कुछ ज्यादा मिल जायगा तो इससे क्या चीजो के दाम बढ़ेंगे। बडे-बड़े ब्लैक मार्केटियर है, 7 हजार करोड रुपये की ब्लैक मनी है, उसकी तरफ ख्याल नही करते, लेकिन जहाँ गरीबो का सवाल आता है, बोनस का सवाल आता है, इस तरह की बातें करते है। इसको हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास, ट्रेड यूनियन्ज नही मानेगी और इस सवाल के बारे मे आपको फैसला करना होगा कि 8.33 परसेन्ट से जो भी ज्यादा मजदूरों को मिलेगा, जिसके लिये मजदूर और मालिक बैठकर फैसला करेंगे, वहा पर सरकार का क्या एटीच्यूड होगा। हम इस बात को हरगिज नही मानेंगे कि जब मालिक 8.33 परसेन्ट से ज्यादा नहीं देना चाहेगा और मजदूर उसके लिये लड़ेगा और जब वह 20 परसेन्ट देने के लिये मजबूर हो जायेगा तो आप यह कहेंगे कि बाकी के पैसे को प्रोविडेन्ट फण्ड से जमा कराओ। यह पालिसी गलत होगी। प्रावि-डेन्ट फण्ड में जमा कराने का जो सवाल है उसको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा।

जहां तक प्राविडेन्ट फण्ड का सवाल है, इस में सरकार फेल रही है, सरकार का डिपार्टमेंट इसमें फेल हुआ है, करोड़ों रुपया आज भी मालिकों के पास जमा है और वे नही देते है। करोड़ों रुपया मजदूरों का मारा गया है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि जिसको हमारे मत्री जी भी जानते है। पिछले अक्तूबर से एक कम्पनी बन्द हुई ...

एक माननीय सदस्य : उस कम्पनी का क्या नाम था।

श्री मोहम्मद इस्माइल : कन्टेनर एण्ड क्लोजर कम्पनी—जिसके मालिको ने कम्पनी को बेच दिया, लेकिन प्राविडेंट फन्ड जमा नही कराया। लाखो रुपया उनके पास जमा हो गया था, डिपार्टमेंट उसको जमा करवाने मे फेल हो गया, प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर लगडा हो गया, मालिको ने कह दिया—जो चाहे कर लो। चार लाख रुपया उनके पास जमा हो गया था, अक्तूबर महीने मे उन्होने ले-आफ कर दिया, वेजेज भी नही दी गई, प्राविडेन्ट फण्ड का पैसा भी नही दिया और सरकार कुछ नही कर सकी। इस चीज को आपको अपने ख्याल मे रखना चाहिये।

जब सरकार ने इस पालिसी को मान लिया है कि चाहे मुनाफा हो या नुकसान हो, 8.33 परसेन्ट बोनस मिलेगा, इसके मायने है आपने "डिफर्ड वेज" के सिद्धान्त को मान लिया है,। अगर उनको मुनाफा न हो, तो भी उनको देना होगा, तब फिर आप किस मुह से रेलवे और दूसरे डिपार्टमेंट्स के मजदूरों के लिये इन्कार कर सकते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट्स के मुलाजिमो ने क्या कुसूर किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स के मुलाजिमो ने क्या कुसूर किया है। जब लास के सवाल को आपने माना है, लास होने पर भी देना होगा, तो फिर क्या वजह है कि इनके राइट को न माना जाये और इनको बोनस न दिया जाय। रेलवे, डिफेन्स, पी० एण्ड टी० और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो मैं

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

आपको कहना चाहता हूं कि वैसा आन्दोलन फिर होगा जो 8.33 परसेन्ट के बोनस के लिये हुआ था। ...

श्री हुकम चन्द कछवाय : उससे भी तेज होगा ।

श्री मोहम्मद इस्माइल : और इतना तेज होगा कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि इसमें भी सी० आई० ए० के लोग घुस गये हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may continue on the next day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up Private Members' Bills now.

15.00 hrs.

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2, 3 etc.)

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954".

The motion was adopted.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I introduce the Bill.

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2, 3 etc.)

श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929".

The motion was adopted.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 4, 8 etc.)

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953".

The motion was adopted.

SHRI C. K. CHANDAPPAN: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of article 290A)

SHRI R. P. ULAGANAMBI (Vellore): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 1st December 1972.